# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

**Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com**

दूरभाष नं0:– **05963-220249** फैक्स नं0:– **05963-220209**


पत्रांक 4852 /12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 8/-6 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –866/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/other/41466/2019**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/09/12/2021/एफ0सी0/2483 दिनांक 17.03.2021।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –866/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

| क0 सं0 | अधिरोपित शर्त | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः–** | |
| क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.696 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कालापैर कापड़ी में 5.20 हे0 खसरा नं0 1 एवं हरकोट में 0.496 है0 खसरा नं0 1 सिविल सोयम में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | | क) उक्त सिविल सोयम भूमि कालापैरकापड़ी 5.20 है0 व हरकोट में 0.496 है0 प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जा सकेगा। |
| ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जना आवश्यक है | | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालापैरकापड़ी 5.20 है0 व हरकोट में 0.496 है0 सिविल भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 101/छब्बीस–14 वन/2018–19 दिनांक 21.04.2022 से वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। **(संलग्नकः–01)** |

| | | |
|---|---|---|
| | ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। | प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कालापैर कापड़ी 5.20 है0 व हरकोट में 0.496 है0 भूमि में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक:–02)** |
| 4 | **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** | |
| | (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.848 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 18,71,136.00 (अठारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ छतीस मात्र) 2.848 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।(संलग्न-3) |
| | (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्न–4)** |
| 5 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 trees न्यून्तम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।**(संलग्न–5)** |
| 6 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें। | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 7 | गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी। | गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।) |
| 8 | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–6)** |
| 9 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के क्रम मे पूर्व से ही |

| | | |
|---|---|---|
| | स्वीकृति प्राप्त करेगा। | प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। |
| 10 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 11. | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 13 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 14 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 15 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा। | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 16 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 17 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लधन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लधन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 18 | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 19 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोंजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिरत एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवें को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोंजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिरत एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवें को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 20 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |

| | | |
|---|---|---|
| | जिम्मेवारी होगी। | |
| 21 | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |

**<u>संलग्न–चार प्रतियों में</u>**

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/12/2021/एफ.सी./2483 दिनांक: 17/03/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–866/17 के अंतर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–69/x-3-21/1(05)/2021 दिनांक 21.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Others/41466/2019 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार– जनपद–बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–866/17 के अंतर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.696 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कालापैर कापडी में 5.20 हे0 खसरा नं0 1 एवं हरकोट में 0.496 हे0 खसरा नं0 1 सिविल सोयम में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के 2.848 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
19. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
21. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. डी0एफ0ओ0 बागेश्वर, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
4. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रमा-4
26/4/2022

# कार्यालय– जिला क्रीडा अधिकारी, बागेश्वर।

पत्रांक– 43 /खोली स्टे0पत्रा0/2022–23 दिनांक 26 ,अप्रैल 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–886/2017 जनपद बागेश्वर के ग्राम खोली में खेल स्टेडियम का निमार्ण हेतु 2.848 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु खेल विभाग बागेश्वर का प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर online proposal FP/UK/others/41466/2019 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/09/12/2021/एफ0सी0/2483 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई थी जिसमें अधोरेपित शर्तो का अनुपालन किया जाना है। उक्त पत्र के क्रम में अनुपालन निम्नवत हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2. परियोजन के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

**3. प्रतिपूरक वनीकरण**

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.696 है0 गैर वानिकी भूमि कालापैर कापडी में 5 20 है0 खसरा नं0–1 एवं हरकोट में 0.496 है0 खसरा नं0–1 सिविल सोयम में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के पेड लगाया जायेगा तथ प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

(ख) गैर वानिकी भूमी को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित कर दिया गया है। भूमि के हस्तान्तरण , नामान्तरण एवं Notification कर लिया गया है, भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदा की जानी है। गाईडलाईन के पैरा 2.4(i)के अनुसार ऐंसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है ए प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण ए नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षि /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।(सलग्नक–1)

(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।(संलग्नक 2)

**4. शुद्व वर्तमान मूल्य–**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या–202/1995 में IA न 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा 5–1/–एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/200 –एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के 2.848 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व मूल्य एन0पी0वी0 के धनराशि रू0–18,71,136–00 एवं

जीयन संख्या 5059
दिनांक 26/4/2022

क्रमांक–2

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0—21,12,658—00 इस प्रकार कुल रू0—39,83,794—00 (उनतालीस लाख तिरासी हजार सात सौ चौरानवें मात्र) हेतु ऑलाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक—3)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (सलग्नक 4)

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 Trees से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लगत जमा की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्नक—5)
6. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (**https//parivesh.nic.in**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड से स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा। इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7. गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8. एफ0आर0ए0 2006 क पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।(संलग्नक—6)
9. परियोजना (संरक्षण) अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11. वन भूमि एवं आस—पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। इस हेत प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम, वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा,इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमाकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजन के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नही किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

क्रमाक—3

16. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभागा अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगा जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

17. इनमे से किसी भी शर्त का उल्लघन वन सरक्षण अधिनियम 1980 का अल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या—11—42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

18. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

19. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।(संलग्नक—7)

20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय/आदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

21. अनुपालन रिर्पोट ई—पोर्टल (https//parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

भवदीय,

(सी0एल0 वर्मा)
जिला क्रीडा अधिकारी
बागेश्वर।

**संख्या एवं तिथि तदैव—**

प्रतिलिपि— निम्न लिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1— जिलाधिकारी, बागेश्वर।

2—निदेशक खेल उत्तराखण्ड देहरादून

3—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी देहरादून।

(सी0एल0 वर्मा)
जिला क्रीडा अधिकारी
बागेश्वर।

संलग्न-1

# आदेश

उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद, बागेश्वर के अंतर्गत ग्राम खोली में स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 है0 की दुगुनी 5.696 है0 भूमि, जो ग्राम कालापैरकापडी, तहसील, कपकोट के गैर ज0वि0 खतौनी श्रेणी 9(3) ख के खाता संख्या -13 खेत नम्बर 716 मध्ये 1.660 है0 ,769 रकवा 1.320है0, खेत नम्बर 917 रकवा 1.420 है0, खेत नम्बर 921 रकवा 0.800 है0 कुल 5.20 है0 भूमि तथा ग्राम हरकोट गै0ज0वि0ख0खा0 संख्या-41 श्रेणी 9(3) ख के खेत नम्बर 25 रकवा 2.000 है0 मध्ये कुल 0.496 है0 भूमि शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर,2012 तथा पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय,उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या- 8बी/यू0सी0पी0 /09/12/2021/एफ0सी0/2483 दिनांक 17.03.2021 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्याः 101 / छब्बीस-14 वन /2018-19/2022 दिनांक 23/4 /2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी, कपकोट।
03. जिला क्रीडा अधिकारी,बागेश्वर।
04. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तान्तरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एंव याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

# गैर ज० वि० खतौनी उद्धरण

ग्राम - कालोणे(कापड़ी) क्षेत्र - नामतीच्चेयनाड़, तहसील कपकोट जिला बागेश्वर

श्रेणी 9(3)ख - भूमि जिसमें इमारती लकड़ी के वन तथा झाड़ियों के समूह है

| खाता सं० | नाम खातेदार | जोत वर्ष | खेत नम्बर | रकबा | लगान | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | जंगलात | | 4 | 5.960 | | श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के पत्र सं० 101/हक्वीस - 14 वन/2018-2022 दि० 23/04/22 के अनुसार जनपद बागेश्वर के ग्राम वेलिन में स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे० की दुगुनी 5.696 हे० भूमि ग्राम कालोणे(कापड़ी) तहसील कपकोट वि० गैर ज०वि० खतौनी श्रेणी 9(3)ख खाता सं० 13 खेत नम्बर 716 में 1.660 769 रकबा 1.120 हे० खेत नम्बर 917 रकबा 1.420 हे० 921 रकबा 0.800 हे० कुल 5.200 हे० भूमि शासनादेश सं० 2173/XIII (11)2010/81(120)2010 दि० 17 दिसम्बर 2012 तथा पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून पत्र सं० 8 बी/यू०सी०/09/112/2021/एफ०सी०/22831 17.3.21 से निर्गत शर्तों के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की<br>ह० (अपठनीय)<br>रा० नि०<br>नामतीच्चेयनाड़<br>08/07/22 |
| | | | 47 | 0.510 | | |
| | | | 49 | 0.840 | | |
| | | | 172 | 0.270 | | |
| | | | 716 | 1.900 | | |
| | | | 729 | 1.840 | | |
| | | | 769 | 1.320 | | |
| | | | 800 | 0.014 | | |
| | | | 874 | 0.143 | | |
| | | | 878 | 0.030 | | |
| | | | 913 | 0.780 | | |
| | | | 915 | 0.155 | | |
| | | | 917 | 1.420 | | |
| | | | 919 | 0.420 | | |
| | | | 921 | 0.800 | | |
| | | | 1797 | 1.160 | | |
| | | | 1813 | 2.360 | | |
| | | | 1985 | 1.080 | | |
| | योग | | 48 | 60.645 | | |

सं० फा० कि० खतौनी उद्धरण

ग्राम : हरखोला पट्टी ... तहसील लोहारखेत, तह० कपकोट जिला बागेश्वर

श्रेणी 1(3) का ... क्रम

| खाता नम्बर | नाम खातेदार | फसली सन् | खेत नं० | रकबा | लगान | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४१. | जंगल की झाड़ी | | ६ | ४८० | | श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के पत्र सं० 101/दफ्तर-14 वन/2018-19 202. दि० 23/04/2022 के अनुसार जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम खाति में स्टेडियम निर्माण हेतु 2.640 है० की दुगुनी भूमि 5.696 भूमि ग्राम हरखोला के नाम राजस्व एवं ग्राम सं० 41 श्रेणी 1(3) ग का के खेत सं० 25 रकबा 1.000 है० मध्ये 0.496 है० भूमि शासनादेश सं० 2173 (1)/XVIII(II)/2012-18 (120) 2010 दि० 17 दिसम्बर 201: तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं० 8 बी/यू० के... दि० 09/12/2021/ एफ० सी०/2483 दिनांक 17/03/2021 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित की। |
| | | | ८ | ८०११= | | |
| | | | १० | ६३३१ | | |
| | | | ११ | ६२११= | | |
| | | | क्रमशः | क्रमशः | | |
| | | | २३ | ८०= | | |
| | | | २४ | १०० | | |
| | | | १२८ | ४२०॥= | | |
| | | | १२९ | १४०१ | | |
| | | | क्रमशः | क्रमशः | | |
| | | | ३२१० | १२२= | | |
| | | | ३२११ | १३३१ | | |
| | | | ३२१२ | २०२॥ | | |
| | | | ३२२२ | ६३१= | | |
| | | | ३२०९ | २४= | | |
| | | | ३२१० | ६२॥।= | | |
| | | योग | ४८ | १९६४२॥= | | 248.874 हे० |

ह० लोहारखेत
05/05/2022

महोदय
खतौनी नकल असल से
नकल कर तैयार किया।

ह०
राजस्व उपनिरीक्षक
.../07/2022
लोहारखेत-
जिला- बागेश्वर

संलग्न-2

## बचनबद्वता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या– Fp/uk/others/41466/2019 में सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3(ग) के अनुसार प्रस्ताव में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्राम कालापैर कापडी में 5.20 है0 भूमि व हरकोट में 0.496 है0 भूमि पर पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही कराया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| वन क्षेत्राधिकारी<br>गलेशियर कपकोट | वन क्षेत्र अधिकारी<br>धरमघर वन क्षेत्र<br>बागेश्वर वन प्रभाग | प्रभागीय वनाधिकारी<br>बागेश्वर |

संलग्न-3 (प्र)

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 169 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 8 / 7 /2021

सेवा में,

जिला कीड़ा अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 866/17 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/09/12/2021/एफ0सी0/2483 दिनांक 17.03.2021।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक -1459/3-5-2 दिनॉक 01.07.2021 के द्वारा निर्धारित दरो के कम में वर्ष 2021-22 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

| क0सं0 | मद | क्षेत्रफल | ई0को0 क्लास | धनत्व | दर प्रति | जमा की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एन0पी0वी0 | 2.848 है0 | 5 | 0.1 | 6,57,000.00 | 18,71,136.00 |
| 2 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण | 05.696 है0 | "–" | "–" | 3,70,902.00 | 21,12,658.00 |

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

संलग्न-५

# बचनबद्धता

परियोजना का नामः–जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–886 / 2017 के अन्तर्गत ग्राम–खोली में खेल स्टेडियम का निर्माण।

**एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी।

उप क्रीडा अधिकारी
बागेश्वर।

जिला क्रीडा अधिकारी
बागेश्वर।

संलग्न-5

2.18

प्रपत्र–24

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निमार्ण।

## न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

उप क्रीड़ा अधिकारी
बागेश्वर

जिला क्रीड़ा अधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (घुरड़ा)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा।

संलग्न-6

1.6

प्रपत्र– 30

Form-I

(for Non linear Project)

Government of Uttrakhand

Office of the District Collector Bageshwar

...Mom/Bag Dated 28.10.2020

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's ...tter No- 11/9 98 FC (pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issues guidelines on ...omission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights ...der the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers ( Recognition of Forest Rights) ... 2006 ( 'FRA's for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes ...ed with MoEF's letter dt. 5th Feb,2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of ...ear projects, it is certified that 2.848 hectares of forest land proposed to be diverted in favour ... **SPORT DEPARTMENT for CONSTRUCTION of Sport Stadium at Village Kholi in District** ...ageshwar, falls within jurisdiction of Kholi village in Bageshwar Tehsil.

...s further certified that:-

(a) The complete for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.848 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and mettings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

...ncl- As above.

Signature

...ated 28.10.2020

(Vineet kumar)

District Colletor

Seal जिला अधिकारी बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

संलग्न-7

# बचनबद्धता

परियोजना का नामः--जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या--886/2017 के अन्तर्गत ग्राम--खोली में खेल स्टेडियम का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या--886/2017 के अन्तर्गत ग्राम--खोली में खेल स्टेडियम के समीप शिखरकोट आरक्षित वन क्षेत्र के कम्पार्टमैन्टसख्या 16 में प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण के चारों ओर दीवारों का निमार्ण कर किया जायेगा, जिसमें मलवा उत्पादित नही होना है। अतः अलग से मलवा निस्तारण योजना की आवश्यकता नही है।

उप क्रीडा अधिकारी
बागेश्वर।

जिला क्रीडा अधिकारी
बागेश्वर।

10/6/21, 3:57 PM NEFT RTGS CHALLAN संलग्न-3(iii)

## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-10-2021

| | |
|---|---|
| Agency Name. | DISTRICT SPORTS OFFICE BAGESHWAR |
| Application No. | 19941466163 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/09/12/2021/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | BAGESHWARBageshwar |
| Amount(in Rs) | 3983794/- |

Amount in Words :Thirty-Nine Lakh Eighty-Three Thousand Seven Hundred and Ninety-Four Rupees Only

### NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 1508319941466163<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


## BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-10-2021

| | |
|---|---|
| Agency Name. | DISTRICT SPORTS OFFICE BAGESHWAR |
| Application No. | 19941466163 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/09/12/2021/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address: | BAGESHWAR Bageshwar |
| Amount(in Rs) | 3983794/- |

Amount in Words :Thirty-Nine Lakh Eighty-Three Thousand Seven Hundred and Ninety-Four Rupees Only

### NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 1508319941466163<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

UTR : SBIN322004133490.

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA (01693) बागेश्वर Bageshwar

04/01/2022

जिला क्रीड़ा अधिकारी बागेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर-01693 पी.एफ.नं.-5502551 04 JAN 2022 Surendra Singh